

‘अमेरिका का स्वर्णिम युग आज से, अभी से शुरू हो रहा है, अमेरिका फिर से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा’

अमेरिका के 47 वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए डॉनल्ड ट्रम्प ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं

वॉशिंगटन, 20 जनवरी। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग लौट आया है। रिपब्लिकन नेता डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। इस शपथ के साथ ही ट्रंप अमेरिका 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद कुछ देर तक कैपिटल बिल्डिंग के रोटेंडो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ट्रंप ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:01 बजे भारतीय समयानुसार सोमवार रात 10:30 बजे शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई।

शपथ के बाद ट्रंप ने 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, अमेरिका का स्वर्ण युग अभी शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फिर से समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में इसका सम्मान किया जाएगा। मैं अमेरिका को सबसे पहले रखूंगा। हमारी संप्रभुता को पुनः प्राप्त किया जाएगा। हमारी सुरक्षा बहाल की जाएगी। हम फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा। जस्टिस डिपार्टमेंट और हमारी सरकार का क्रूर, हिंसक और अनुचित हथियारीकरण समाप्त हो जाएगा।

ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा,

- ट्रम्प ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लगाने की घोषणा की, यहाँ मैक्सिको से भारी घुसपैठ होती है।
- “रिमेन इन मैक्सिको” पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की।
- पकड़ो और छोड़ो प्रथा को समाप्त किया जाएगा।
- मैक्सिकन ड्रग कार्टल को विदेशी आतंकवादी घोषित करेंगे।
- नैशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित।
- फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक।
- थर्ड जैंडर समाप्त, अब सिर्फ मेल और फीमेल जैंडर ही होंगे।
- पनामा नहर को वापस लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

“मैं इस विश्वास और आशा के साथ राष्ट्रपति पद पर वापस आ रहा हूँ कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए

युग की शुरुआत में हैं... देश में बदलाव को लहर चल रही है।” उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार अब बुनियादी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है, उन्होंने पश्चिमी



डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने

कर रही है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी और भ्रष्ट प्रतिष्ठान ने कई वर्षों से देश पर कहर बरपाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार अब बुनियादी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है, उन्होंने पश्चिमी

उत्तरी कैरोलिना को तबाह करने वाले तूफान के विनाशकारी नतीजों की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि दक्षिणी सीमा पर स्थिति नियंत्रण से बाहर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “आज से

यह सब बदल जाएगा।”

डॉनल्ड ट्रंप ने आब्रजिन (इमिग्रेशन) पर अपनी आगामी कार्यकारी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि वह दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा करेंगे और अपने पहले कार्यकाल में लागू की गई कई नीतियों को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पकड़ो और छोड़ो की प्रथा को समाप्त करेंगे और मैक्सिकन ड्रग कार्टल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे।

डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी प्राथमिकता एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की होगी जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो। अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा महान, मजबूत और कहीं ज्यादा असाधारण होना चाहिए।

राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फलेंगा-फूलेगा और सम्मान पाएगा। मैं बहुत सरलता से अमेरिका को सर्वप्रथम रखूंगा।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सबको बोलने की आजादी रहेगी। किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकारी सिस्टम से कट्टर सोच को खत्म कर दूंगा।

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस का नया मुख्यालय क्या प्रियंका गांधी का दफ्तर बनेगा उनकी राजनीतिक गतिविधि के लिए?

नया मुख्यालय, जिसका नामकरण इन्दिरा भवन किया गया है, में केवल ग्राउण्ड फ्लोर नियमित रूप से कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों के लिए खुला होगा। इन पत्रकारों को विशेष “पास” दिये जायेंगे, प्रवेश के लिए

- रेणु मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 जनवरी। बड़ी भव्यता एवं कलात्मकता से संपन्न कांग्रेस का नया मुख्यालय एक म्यूजियम जैसा लगता है, जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास, इसकी अतीत की उपलब्धियों तथा नेताओं, पार्टी के मूल

एक कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा दिखाई देता और महसूस होता है, जैसे जवाहर भवन दिखाई दिया करता था।

जवाहर भवन इस कदर अभिजात्य लगता था कि उसे पार्टी कार्यालय कहा ही नहीं जा सकता था और बाद में तो वह राजीव गांधी फाउण्डेशन तथा विविध प्रकार के अन्य कार्यालयों तथा

- आम कार्यकर्ता और आम पत्रकारों का आना-जाना अभी भी पुराने मुख्यालय, 24, अकबर रोड से शायद होगा।
- इन्दिरा भवन, एक ‘कॉरपोरेट ऑफिस’ जैसा लगता है, जहां आम कार्यकर्ता का आवागमन वर्जित सा होगा।

तत्वों को खोजने के इसके प्रयासों, तथा उन नेताओं के बारे में जानकारी देता है, जो पार्टी का हिस्सा थे, यहां तक कि, जो बाद में पार्टी छोड़ भी गये।

यह मुख्यालय ठीक उसी तरह से

फाउण्डेशनों का ठिकाना बन गया था, जो गांधी परिवार से सम्बद्ध थे। कार्यकर्ताओं, जो किसी राजनीतिक पार्टी का आधार होते हैं, को इसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सारी तैयारी है जल्दी ही यू.सी.सी. के क्रियान्वयन की घोषणा होगी’

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोड मैनुअल पर मंत्रिमंडलीय स्वीकृति के बाद कहा

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 20 जनवरी। उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां यूनीफॉर्म सिविल कोड (यू सी सी) लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने आचार संहिता को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 2022 में उत्तराखण्ड की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद जल्दी ही यू सी सी लाया जाएगा। वह वादा निभाया गया है। यू सी सी का ड्राफ्ट तैयार होकर पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति से भी इसे मंजूरी मिल गई है और अब यह तैयार है। ट्रेनिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है और हर पहलू की समीक्षा कर ली गई है, जल्दी ही इसके क्रियान्वयन की तारीख घोषित कर दी जाएगी।

यू सी सी के तहत पर्सनल लॉज का सैट लागू करना होता है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के

- मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हमने 2022 में उत्तराखण्ड के लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द यू.सी.सी. बिल लाया जाएगा। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां यू.सी.सी. का क्रियान्वयन होने जा रहा है।
- भाजपा शासित लगभग सभी राज्य यू.सी.सी. की दिशा में कोई ना कोई कदम उठा चुके हैं, इनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, यूपी. प्रमुख हैं। जल्दी ही हरियाणा, महाराष्ट्र व यूपी. में भी यह प्रक्रिया शुरू होगी।

हों, स्त्री हों या पुरुष हों। इसके तहत शादी-विवाह, गोद लेने, विरासत व उत्तराधिकार जैसे मामले आते हैं।

पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम तक कई भाजपा शासित राज्यों ने यू सी सी के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यू सी सी के क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि इससे बाहरी लोग आदिवासी महिलाओं से विवाह नहीं कर पाएंगे, जो

वे उनकी जमीन हड़पने के लिए करते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इसलिए यू सी सी का पास कि, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय में एक से ज्यादा विवाह पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा यू सी सी नहीं लागू हुआ तो कई शायदियां करने की प्रथा चलती रहेगी। एक आदमी तीन-चार शायदियां करेगा, इससे महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन होगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दस लाख डॉलर खर्च करके ट्रम्प के मेहमान बने अंबानी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 जनवरी। ना तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ना ही भारत के टॉप उद्योगपति गौतम अंबानी और मुकेश अंबानी को यू.एस. प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला था।

ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश व नीता अंबानी के नजर आने पर यह चर्चा थी कि वे आमंत्रित हैं, पर वास्तविकता यह है, कि उन्होंने दस लाख डॉलर (8.65 करोड़ रु.) में यह निमंत्रण खरीदा था।

भारतीय मीडिया में, डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी के शामिल होने का लेकर भारी हलचल थी, कि उन्हें कितना बड़ा सम्मान दिया गया है। तथापि, एक महत्वपूर्ण बात किसी ने नहीं बताई कि, शायद जानबूझकर, कि अंबानी और उनकी पत्नी को निमंत्रण नहीं मिला था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस के फैसले से नाखुश है आम जनता

लोगों को स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है और उनका मत है कि सी.बी.आई. ने भी विश्वासघात किया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 जनवरी। कोलकाता में सियालदाह की एक शहर अदालत ने, पांच माह पूर्व सरकारी अस्पताल आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में हुए, एक जूनियर डॉक्टर के रेप व हत्या के मामले में फैसला दे दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर वो, नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को उम्रकैद की सजा दे रहे हैं।

इस फैसले ने स्पष्ट रूप से राज्य प्रशासन के उच्चतम स्तर पर अनियमितताओं को लेकर संदेह का पिटारा खोल दिया है। लोग स्थानीय पुलिस पर अपने अविश्वास और सी.बी.आई. द्वारा विश्वासघात को खुलेआम व्यक्त कर रहे हैं।

अभियोग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत टिप्पणी की कि, यह मुत्युदंड का फैसला नहीं है, इस बात से वो संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने वही बात

लोगों का कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जितनी चोटें थीं वह एक व्यक्ति का काम नहीं है, जांच में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आरोपी संजय रॉय को फांसी दिलाने पर क्यों आमादा हैं क्या उन्हें डर है कि संजय रॉय कोई बड़ा राजफाश कर देगा।

मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने भी जांच व फैसले पर नाखुशी जताई और कहा कि उन्हें सारे प्रकरण से दूर रखा गया, आनन-फानन में उनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया।

दोहराई जो उन्होंने हत्या के तुरंत बाद आरोपी संजय की गिरफ्तारी के तुरंत बाद कही थी।

सबसे बड़ा संदेह यह था कि मुख्यमंत्री आरोपी को तुरंत फांसी पर लटकाने पर क्यों जोर दे रही हैं। क्या वो मुख्य आरोपी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले संचालित खुलासों तथा सभी साक्ष्यों को मिटाने के लिए ऐसा कर रही

है। शहर अदालत के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, मृत डॉक्टर के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

तथापि, जानकार लोगों का मानना है कि यह स्पष्ट रूप से उच्च संपर्क वाले कुछ लोगों को बचाने का मामला है, जिनका उल्लेख दबी जुबान में किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपना केस लड़ने के लिए टॉप लॉ फर्म की सेवाएं ली अडानी ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 जनवरी। अमेरिका की लॉ फर्म, कर्कलैण्ड एण्ड एलिस तथा क्विन इमैनुअल, एस.ई.सी. (सिक्विरिटो) एण्ड एक्सचेंज कमीशन) एवं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के खिलाफ अडानी ग्रुप पर सोलर एनर्जी अनुबंध हासिल करने के

अडानी पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वात देने का आरोप लगाकर न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तथा सिक्विरिटो एण्ड एक्सचेंज कमीशन ने केस दर्ज किया है।

लिए 250 मिलियन डॉलर की रिश्वात देने के आरोपों के मामले में अडानी ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही है। हालांकि, ए.जी.ई.एल. (अडानी ग्रीन एनर्जी लि.) के संस्थापक गौतम अडानी तथा दो अन्य ने कहा कि उन पर यू.एस. एफ. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘फागी रोड पर मुहाना मोड़ से रिंग रोड तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटे’

जयपुर, 20 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी रोड पर मुहाना मोड़ से रिंग रोड तक स्थित 200 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में, जेडीए सचिव को तीन फरवरी को तलब किया है। अदालत ने जेडीए सचिव से पूछा है कि मौके पर अतिक्रमण होना स्वीकार करने के बाद भी कार्रवाई

■ हाईकोर्ट ने जेडीए सचिव को 3 फरवरी को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा।

क्यों नहीं की गई। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश बंशीलाल योगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान, 2025 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘राजस्थान सरकार टैक्स की आय के जनकल्याणकारी उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार व सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की

जयपुर, 20 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के संकल्प को पूरा किया जा सके।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ दो सत्रों में

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अल्प अवधि में कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। जिसके कारण 2024 में जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई।

■ उन्होंने कहा कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान करते हैं। राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।

आयोजित बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के

एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हुए हैं तथा एमएसएमई इकाइयों के पंजीयन में राजस्थान का चौथा स्थान है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसके फलस्वरूप (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की।

हाईकोर्ट के परीक्षा रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी

जयपुर, 20 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों पर केवल चार अभ्यर्थियों को ही एडीजे के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित करने से जुड़े मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर, हाईकोर्ट के परीक्षा रजिस्ट्रार पीपी सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा

■ एडीजे भर्ती 2020 में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर याहन नोटिस दिया गया।

है। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मोहन की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि मामले में आदेश दिए एक साल का समय हो गया है और हाईकोर्ट प्रशासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)